

समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

दूरभाष : 2527532
तार : युनिवर्सिटी
फैक्स : 0731-529540

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001

क्र. डी.सी.डी.सी./ सूचना/2024/ 1738

दिनांक 25 JUL 2024

प्रति


प्राचार्य / संचालक
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त अशासकीय/अनुदान प्राप्त महाविद्यालय
जिला- इन्दौर, धार, झाबुआ।

विषय: महाविद्यालयों द्वारा यू.जी.सी. नई दिल्ली एवं म.प्र. शासन के नियमों का पालन करने विषयक।

महोदय/महोदया

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 12/06/2024 में लिये गये निर्णयानुसार समस्त अशासकीय महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है, कि सम्बद्धता/नवीनीकरण/सीट संख्या वृद्धि की कार्यवाही करते समय यू.जी.सी. नई दिल्ली एवं आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन भोपाल के मापदण्डों/नियमों का पालन पूर्ण रूप से किया जाये एवं म.प्र. शासन के नियमों के अन्तर्गत सेवा-शर्तों की पूर्ती अनिवार्य रूप से भी की जाये साथ ही महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य एवं सभी शिक्षकों की नियुक्ति कॉलेज कोड-28 में अधिकतम तीन माह में अनिवार्य रूप से करे तथा महाविद्यालय का GEO Tagging भी करवाया जाये एवं शिक्षकों के आधारकार्ड को अपडेट कर महाविद्यालय की वेबसाईड पर प्रदर्शित करे।

भवदीय



कुलसचिव

पृष्ठा क्र. डी. सी. डी. सी./ सूचना/2024 1738

दिनांक 25 JUL 2024

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति जी के सचिव देवी अहिल्या वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव जी के निजी सहायक, देवी अहिल्या वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. परीक्षा नियंत्रक देवी अहिल्या वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. सहा. कुलसचिव (शैक्षणिक) देवी अहिल्या वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. हेड आई.टी. सेन्टर खण्डवा रोड़ इन्दौर से नीवेदन है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


निदेशक

महाविद्यालय विकास परिषद्